मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक जी-3/2/94/सी/चार,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर, 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:-- चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने की प्रक्रिया.

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित किये जाय. तद्नुसार वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/89/ नि-4/चार, दिनांक 26 अक्टूबर, 1989 एवं जी-3/12/90/नि-4/चार, दिनांक 10 दिसम्बर, 1990 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:--

(1) अग्रिम की राशि अनुमानित व्यय के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(2) चिकित्सा व्यय अग्रिम उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जाएगा, जहां रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में कराया जा रहा हो या कराया जाना हो.

(3) चिकित्सा व्यय की अनुमानित राशि प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रुपये 15,000/- अथवा इससे अधिक और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में 7,500/- अथवा इससे अधिक होने पर चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी.

(4) अग्रिम की राशि सीधे संबंधित अस्पताल में डाक्टर अथवा मेडीकल सुपरिटेन्डेंट से इस्टीमेट प्राप्त होने पर जमा कराई जावेगी. अगर चिकित्सा व्यय की अनुमानित राशि रुपये 25,000/- से अधिक होगी तो अनुमानित राशि की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाएगी.

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूरा समयोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता शासकीय सेवक के द्वारा रोगी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के एक महिने के अन्दर करा लिया जावेगा.

(6) राशि की आवश्यकता से 15 दिन अधिक पहले अग्रिम का आहरण नहीं किया जायेगा.

(7) इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश यथावत रहेंगे.

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में की जाने वाली चिकित्सा पर लागू नहीं होगा.

(9) इन निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं किया जाएगा. प्रशासकीय विभागों से अपेक्षा है कि वे विभागाध्यक्षों को शिथिलीकरण प्रकरण भेजने से हतोत्साहित करेंगे और शिथिलीकरण के प्रस्ताव यदि प्राप्त हो तो उन पर विचार नहीं करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. जी-3/2/94/सी/चार, भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर, 1994

प्रतिलिपि:--

(1) राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
(2) सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर.
(3) नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल/ लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल/ समस्त कोषालय अधिकारी, म. प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित
(4) महालेखाकार म. प्र.(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय एवं महालेखाकार (आडिट) प्रथम एवं द्वितीय ग्वालियर / भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
(5) सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित
(6) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./-
(वरुण वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग